



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273413
CG-DL-E-12062026-273413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2925]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2925]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3031(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 66090:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ दूरसंचार उपकरणों हेतु सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत आपूर्ति प्रणाली
2.	टी ई सी 48050:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ एम पी एल एस आधारित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए राउटर

3.	टी ई सी 66131:2025 परीक्षण निर्देशिका दूरसंचार के संयंत्र को बिजली एवं अचानक वोल्टेज वृद्धि से बचाव हेतु यंत्र
4.	टी ई सी 66140:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ निर्बाध विद्युत् आपूर्ति प्रणाली
5.	टी ई सी 48081:2025 परीक्षण निर्देशिका ईथरनेट इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल मीडिया कनवर्टर
6.	टी ई सी 23040:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ सेलुलर नेटवर्क के लिए ड्राइव टेस्ट उपकरण
7.	टी ई सी 57070:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी-भाग (1)]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3031(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 66090:2025 Generic Requirements Solar Photovoltaic Power supply for Telecom Equipment
2.	TEC 48050:2025 Generic Requirements Router for MPLS based Transport network
3.	TEC 66131:2025 Test Guide Lightning and Surge Protection of Telecom Sites
4.	TEC 66140:2025 Generic Requirements Uninterrupted Power Supply System
5.	TEC 48081:2025 Test Guide Ethernet Electrical to Optical Media Converter
6.	TEC 23040:2025 Generic Requirements Drive Test Tool for Cellular Networks
7.	TEC 57070:2025 Generic Requirements Video Streaming Platform

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC-Part(1)]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273414
CG-DL-E-12062026-273414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2926]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2926]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3032(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 21061:2025 परीक्षण निर्देशिका जी नोड बी
2.	टी ई सी 66170:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु बाह्य मौसमरोधी रैक

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी-भाग (1)]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3032(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: —

Sl. No.	Number and name of standards
(1)	(2)
1.	TEC 21061:2025 Test Guide gNodeB
2.	TEC 66170:2025 Generic Requirements Outdoor Weatherproof Rack for Telecom Applications

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC-Part(1)]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General